Application Form for Allotting Dwelling units to approved AHP beneficiaries under PMAY

1	Name of the beneficiary	
2	Adhaar Number of the beneficiary (attach copy of Adhaar)	
3	Address of the beneficiary	
4	Name of City where the beneficiary intents for allotment of flat.	
5	List three category of dwelling units (DU) that the applicant wants to apply in their eligible city in order of preference from list of available category of flats available for allotment in the office of concerned District Town Planner.	1. ..... (Project Name) DU size: ..... 2.....(Project Name) DU size: ..... 3..... (Project Name) DU size: .....
6	Detail of bank draft	Bank Name Draft No. Amount Date:

Note:

1. The applicant should submit the application under the same name as approved under the PMAY-U scheme.
2. The Form should be complete in all aspects. No application shall be considered valid unless it is made in the prescribed format and is accompanied by the requisite ID Proof etc.
3. This Form is free of charge and can be downloaded from the T&CP Department's website.
4. The allotment criteria shall be as per clause no. 2.5 and 6.5 of PMAY guidelines issued by Ministry of Housing and Urban Affairs, 2016 (Link http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/18HFA_guidelines_March2016-English.pdf).
5. The allotment rate of the apartment shall be as per rates prescribed under the policy notified vide no. PF-27/48921 dated 19.08.2013 *(details available at the Department website, ie. tcpharyana.gov.in).*
6. The scrutiny of applications and draw of lots shall be conducted by the committees constituted as under:
    i. Under the chairmanship of Commissioner in case of Municipal Corporations, with concerned Executive Officer, MC and DTP as members
    ii. Under the Chairmanship of DC in case of other municipalities with concerned Executive Officer/Secretary of the municipality and DTP as members.
7. Booking amount, i.e., 5% of cost of flat and first installment of 20% of cost of flat shall be demanded from the successful candidates in one go on allotment. Balance 75% of the amount in six equal monthly installments over three year period. No interest shall fall due before the due date of payment. Any default in payment shall invite interest at the rate of 15% per annum on delayed period.

Please Note: This application is only for eligible approved AHP beneficiary under PMAY-U

(Signature of the Applicant)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी **(AHP)** लाभार्थियो को आवास इकाईयाँ आवंटित करने के लिए आवेदन पत्र

1.	लाभार्थी का नाम	
2.	लाभार्थी की आधार संख्या (आधार की प्रति संलग्न करे)	
3.	लाभार्थी का पता	
4.	शहर का नाम जहा लाभार्थी फ्लैट आवंटन के लिए इच्छुक है	
5.	उन तीन श्रेणियों की जानकारी जहां प्रार्थी अपनी पात्रता वाले शहर में आवेदन करना चाहते है जोकि सम्बन्धित जिला नगर योजनाकार के कार्यालय मे आवंटन लिए वरीयता क्रम में उपलब्ध फ्लैटों की सूची के अनुसार हो।	1. ..... (प्रोजैक्ट नाम) आवास इकाई का एरिया/टाईप .... 2. ..... (प्रोजैक्ट नाम) आवास इकाई का एरिया/टाईप ..... 3. ..... (प्रोजैक्ट नाम) आवास इकाई का एरिया/टाईप .....
6.	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	बैंक का नाम ड्राफ्ट संख्या राशी दिनांक

कृप्या ध्यान दे:

1. आवेदक को उसी नाम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अनुमोदित हो।
2. प्रपत्र सभी पहलुओं से परिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी आवेदन को तब तक वैध नही माना जाएगा जब तक कि वह निर्धारित प्रारूप में न जमा किया गया हो और अपेक्षित पहचान पत्र आदि साथ संलग्न न हो।
3. यह प्रपत्र निशुल्क है और नगर एवं आयोजना विभाग की वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
4. आबंटन मानदंड खंड संख्या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, 2016 द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देश संख्या 2.5 और 6.5 के अनुसार होनी चाहिए। (Link gttp://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/18HFA guideline March2016-English.pdf)
5. आपर्टमेंट की आबंटन दर विभाग द्वारा पॉलिसी PF-27/48921 दिनांक 19.08.2013 के तहत निर्धारित दरों के अनुसार होगी। (यह विवरण विभाग की वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)
6. आवेदनों की जांच निम्नलिखित गठित समितियों द्वारा की जाएगी।
    i. नगर निगमो के मामले आयुक्त की अध्यक्षता में, संबंधित कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम और सदस्यों के रूप में जिला नगर योजनाकार को साथ।
    ii. संबंधित कार्यकारी अधिकारी/सचिव के साथ अन्य नगर पालिकाओं के मामले में डीसी की अध्यक्षता में और जिला नगर योजनाकार सदस्य के रूप में।
7. सफल लाभार्थीयों से बुकिंग राशि, यानी, फ्लैट की लागत का 5% और फ्लैट की लागत की 20% की पहली किस्त की मांग की जाएगी। शेष 75% भुगतान तीन साल की अवधि में छह समान मासिक किस्तों में देय होगा, तथा किस्त की निर्धारित तारीख से पहले कोई ब्याज देय नही होगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब या चूक की स्थिति में लाभार्थी को विलंबित अवधि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।

कृप्या ध्यान दें: यह आवेदन केवल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत योग्य अनुमोदित अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के लाभार्थीयों के लिए है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)